

# फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर

वादी : खुमाणी

बनाम

प्रतिवादी : तुलसीराम

किस्म मुकदमा : वाद

प्रकरण संख्या : 206 / 19

दिनांक: 14.05.2024

पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण साक्ष्य वादी हेतु नियत है। न्यायलय द्वारा रूक रूक कर तीन बार आवाज लगवाई गई। किन्तु वादी एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए ना ही न्यायालय समय के अन्त तक उपस्थित हुए। जिससे जाहिर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है एवम् उक्त वादी में प्रभावी पैरवी नहीं कराना चाहते हैं।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 के अर्न्तगत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.  
सहायक कलक्टर फा.ट्रै.  
गिर्वा-उदयपुर



